2024 का विधेयक संख्यांक 18

[दि जम्मू एंड कश्मीर लोकल बोडीज लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9),
जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20)
तथा जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000
(2000 का 21) का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

2029 का 34

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर की विधान सभा अस्तित्व में नहीं है और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के निबंधनों में भारत सरकार द्वारा सं. का.आ. 3937(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2019 द्वारा की गई उद्घोषणा प्रवृत्त है ;

और पूर्वोक्त उद्घोषणा के निबंधनों में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य हैं ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 2

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 का संशोधन

2. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् पंचायती राज अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1989 का 9

'(ठक) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iii) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है ;'। 2004 का 14

धारा 2क का प्रतिस्थापन ।

3. पंचायती राज अधिनियम की धारा 2क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन ।

'2क. संपूर्ण अधिनियम में "जिला योजना और विकास बोर्ड" और "जिला पंचायत अधिकारी" शब्द, जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "जिला विकास परिषद्" और "सहायक पंचायत आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।'।

धारा 4 का संशोधन ।

4. पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में,—

(क) पहले परंतुक में,--

(i) खंड (क) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) अनुसूचित जनजातियां ; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग,";

(iii) दीर्घ पंक्ति में, "या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का" शब्दों के पश्चात् "या, यथास्थिति, पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का या अन्य पिछड़े वर्गों का" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन ।

5. पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में,—

(क) पहले परंतुक में,—

(i) खंड (क) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) अनुसूचित जनजातियां ; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग,";

(iii) दीर्घ पंक्ति में, "या उस जिले में अनुसूचित जनजातियों के" शब्दों के पश्चात् "या उस जिले में अन्य पिछड़ा वर्गों के" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36क का संशोधन ।

6. पंचायती राज अधिनियम की धारा 36क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, वे होंगी, जो उप राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करे :

परंतु यदि कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण करने की तारीख से ठीक पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है या पेंशन (नि:शक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करने के लिए हकदार हो जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन को—

(क) उस पेंशन की रकम ; और

(ख) यदि पद धारण करने से पूर्व उसने ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के भाग को प्राप्त किया था तो उसके सारांशीकृत मूल्य को पेंशन के उस भाग की रकम से,

घटा दिया जाएगा ।

(3) यात्रा भत्ता भाटक मुक्त आवास सुविधा, वाहन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, जो सेवानिवृत्ति के समय किसी व्यक्ति को या राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति पर उसे उपलब्ध हैं, जहां तक हो सके उसे अनुज्ञेय होंगी ।

(4) राज्य निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी अनुदत्त करने या छुट्टी से इंकार करने की शक्ति और उसे अनुदत्त छुट्टी को वापस लेने या सीमित करने की शक्ति उप राज्यपाल में विहित होगी ।"।

धारा 36ख का प्रतिस्थापन ।

7. पंचायती राज अधिनियम की धारा 36ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना ।

"36ख. राज्य निर्वाचन आयुक्त को सिवाय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की रीति और आधार से नहीं हटाया जाएगा तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके प्रति अलाभदायक परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 36घ का संशोधन ।

8. पंचायती राज अधिनियम की धारा 36घ की उपधारा (2) में,—

(क) प्रारंभिक भाग में "आयोग को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयोग को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "ऐसे निदेश देगा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा ऐसे निदेश देगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) में, "प्रत्यायोजित करेगा" शब्द के स्थान पर, "आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, प्रत्यायोजित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

9. पंचायती राज अधिनियम की धारा 39 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) ऐसे अन्य आधार, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किए जाएं ।"।

धारा 45क का संशोधन ।

10. पंचायती राज अधिनियम की धारा 45क में,—

(क) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (क) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए ; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए,";

(iii) दीर्घ पंक्ति में, "या उस जिले में अनुसूचित जनजातियों के" शब्दों के पश्चात् "या उस जिले में अन्य पिछड़ा वर्गों के" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3

जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 का संशोधन

कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन ।

11. संपूर्ण जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् नगरपालिक अधिनियम कहा गया है) में "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" और "पिछड़ा वर्ग" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: "राज्य निर्वाचन आयोग" और "अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे । 2000 का 20

धारा 2 का संशोधन ।

12. नगरपालिक अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (27) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(27क) "अन्य पिछड़ा वर्गों" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iii) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है ;'। "

(ग) खंड (29ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(29खख) "राज्य निर्वाचन आयोग" से पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है ;'।

धारा 11क का संशोधन ।

13. नगरपालिक अधिनियम की धारा 11क में,—

(क) उपधारा (1) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3क) में, "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा ।"।

धारा 282 का संशोधन ।

14. नगरपालिक अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयोग—

(i) किसी व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा करता है, से किसी विषय पर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो आयोग की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या सुसंगत हो ;

(ii) आदेश द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को या किसी अन्य कानूनी निकाय या सोसाइटी को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के निर्बाध और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ;

(iii) आदेश द्वारा उसमें वर्णित ऐसे निबंधनों की शर्त के अधीन रहते हुए अपनी किसी भी शक्ति को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के

ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नगरपालिकाओं का अवधारण और परिसीमन कर सकेगा ;

(v) अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों का समय और स्थान नियत करना है, को विनियमित करेगा ; और

(vi) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो समय-समय पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ।"।

नई धारा 282क का अंत:स्थापन ।

15. नगरपालिक अधिनियम की धारा 282 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

"282क. पंचायती राज अधिनियम [जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 36, धारा 36क, धारा 36ख, धारा 36ग, धारा 37 और धारा 39 यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अधिनियम को लागू होंगी ।"।

अध्याय 4

जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 का संशोधन

कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन ।

16. संपूर्ण जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् नगरपालिक अधिनियम कहा गया है) में "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" और "पिछड़ा वर्ग" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: "राज्य निर्वाचन आयोग" और "अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे । 2000 का 21

धारा 2 का संशोधन ।

17. नगर निगम अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (6) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (37) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(37क) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iii) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है ;'; 2004 का 14

(घ) खंड (59) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(59क) "राज्य निर्वाचन आयोग" से पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है ।'। 1989 का 9

नई धारा 9क का अंत:स्थापन ।

18. नगर निगम अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

"9क. पंचायती राज अधिनियम [जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 36, धारा 36क, धारा 36ख, धारा 36ग, धारा 37 और धारा 39 यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अधिनियम को लागू होंगी ।"।

नई धारा 10क का संशोधन ।

19. नगर निगम अधिनियम की धारा 10क में,—

(क) उपधारा (1) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3क) में, "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (अधिनियम) का संविधान के भाग 9 और भाग 9क के उपबंधों के अनुरूप संशोधन करने के लिए है ।

2. संविधान का भाग 9 और भाग 9क "पंचायत" और "नगरपालिकाएं" से संबंधित हैं । संविधान के अनुच्छेद 243घ का खंड (6) और अनुच्छेद 243न राज्य के विधान- मंडलों को किसी "पंचायत" और "नगरपालिका" में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों को आरक्षित करने का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है । यद्यपि, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अधिनियमों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है ।

3. संविधान के अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अनुसार, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के कार्य का अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण तथा सभी निर्वाचनों का संचालन "राज्य निर्वाचन आयुक्त" से मिलकर बनने वाले "राज्य निर्वाचन आयोग" में निहित है । समान उपबंध, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में सम्मिलित किए गए थे । तथापि, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की नगरपालिक विधियों के अनुसार, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के सभी निर्वाचनों का संचालन का कार्य जम्मू-कश्मीर के "मुख्य निर्वाचक अधिकारी" के पास है ।

4. संविधान का अनुच्छेद 243ट का खंड (2) का परंतुक यह परिकल्पना करता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा । किंतु जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36ख उपबंध करती है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उप राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा उप राज्यपाल द्वारा किए गए निर्देश पर जांच करने के पश्चात् साबित कदाचार या अक्षमता के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा । जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित उपबंध संविधान के उपबंधों से भिन्न हैं ।

5. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पंचायतों और नगरपालिकाओं में "अन्य पिछड़ा वर्ग" के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय निकाय विधियों में संविधान के उपबंधों के अनुरूप संगतता लाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियमों के कतिपय उपबंधों का संशोधन किया जाए तथा संसद् में एक विधेयक अर्थात्, जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाए । इससे जम्मू और कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार न्याय सुनिश्चित किया जाएगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 फरवरी, 2024

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 को यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से आवृति या अनावृति प्रकृति का कोई वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्यांक 9) से उद्धरण

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

* * * * * *

कतिपय स्थानों का प्रतिस्थापन ।

2क. संपूर्ण अधिनियम में "जिला योजना और विकास बोर्ड" जहां कही भी आता है, के स्थान पर "जिला विकास परिषद्" रखा जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 2

हल्का पंचायत

हल्का पंचायत की स्थापना और गठन ।

4. (1) * * * * *

(3) प्रत्येक हल्का पंचायत, सरपंच को छोड़कर, सात से अन्यून और ग्यारह से अनधिक पंचों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगी जिसे इस निमित्त यथा विहित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत किया जा सकेगा ।

परंतु प्रत्येक हल्का पंचायत में सरपंच और पंच के पद–

(क) अनुसूचित जातियों ; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों

के लिए आरक्षित रहेंगे, और सरपंच और पंच के पदों की संख्या उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या और उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के समानुपात के अनुसार उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पंचों के कुल पदों की संख्या के उसी अनुपात में यथा शाक्य अनुसार आरक्षित रहेंगे । और ऐसे सरपंच और पंच के पदों को हल्का पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए आवंटित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि–

(क) उपरोक्त परंतुक के अधीन आरक्षित सरपंच और पंच के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ;

(ख) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या के एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित सरपंच और पंच के पदों की संख्या सहित) से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को हल्का पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी

द्वारा, जिसे विहित किया जाए, आवंटित किया जा सकेगा :

* * * * * *

अध्याय 6

ब्लाक विकास परिषद्

ब्लाक विकास परिषद् का गठन ।

27. (1) * * * * *

(3) ब्लाक विकास परिषद् -

(i) एक अध्यक्ष;

(ii) ब्लाक के भीतर आने वाले हल्का पंचायत के सभी सरपंचों से मिलकर बनेगी ।

परंतु प्रत्येक जिलें में ब्लाक विकास परिषद् के अध्यक्षों के पद–

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए आरक्षित रहेंगे, और सरपंच और पंच के पदों की संख्या उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या और उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के समानुपात के अनुसार उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पंचों के कुल पदों की संख्या के उसी अनुपात में यथा शाक्य अनुसार आरक्षित रहेंगे । और ऐसे सरपंच और पंच के पदों को हल्का पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए आवंटित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि–

(क) उपरोक्त परंतुक के अधीन आरक्षित सरपंच और पंच के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ;

(ख) प्रत्येक जिले में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित ब्लाक विकास परिषद् के अध्यक्षों के पदों की संख्या सहित) से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को किसी जिले में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे विहित किया जाए, आवंटित किया जा सकेगा :

* * * * * *

राज्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यालय पदावधि और सेवा शर्तें ।

36क. (1) * * * * *

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त पद धारण करने से प्रवृत्त हो जाने पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्य या किसी पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भत्तें और अन्य शर्तें वह होगीं जिन्हें समय-

समय पर विहित किया जाए ।

परंतु यदि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी नियुक्ति के समय किसी पूर्व सेवा के संबंध में किसी पेंशन के लिए पात्र है या पेंशन ले रहा है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन–

(क) उस पेंशन की रकम द्वारा कम कर दिया जाएगा ; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसको देय पेंशन के किसी भाग के बदले प्राप्त किया है तो उसकी सांराशित मूल्य को उस पेंशन की रकम से कम कर दिया जाएगा ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का हटाया जाना ।

36ख (1) राज्य निर्वचान आयुक्त, उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय के किसी पदासीन या सेवानिवृत न्यायधीश, उप राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्देश दिए जाने पर, कि गई किसी जांच के पश्चात् साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उपराज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश के अलावा उनके कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा।

(2) उपराज्यपाल कार्यालय से निलंबित कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो जांच के दौरान उस राज्य निर्वाचन आयुक्त को, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन जांच अधिकारी को उप-धारा (1) के अधीन संदर्भ दिया गया है, कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकते हैं जबतक कि राज्यपाल ऐसे संदर्भ पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नही कर देते हैं ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपराज्यपाल आदेश द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं, यदि वह–

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया है; या

(ख) अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी नियोजन में अंर्तवलित है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(घ) उस अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है ।

* * * * * *

राज्य् निर्वाचन आयोग की शक्तियां ।

36घ. (1) * * * * *

(2) आयोग के पास–

* * * * * *

(ख) संघ-राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार या पंचायत राज संस्थाओं या किसी अन्य कानूनी निकाय या सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे निदेश देने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे;

(ग) अपनी किसी भी शक्ति को संघ-राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी, जिसे वह

आवश्यक समझे;

* * * * * *

किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हता ।

39. कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नियमावली रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा, यदि वह–

* * * * * *

(iii) 18 वर्ष की आयु का नहीं हुआ है ।

* * * * * *

अध्याय 11

जिला योजना एवं विकास बोर्ड

जिला परिषद् का गठन ।

45क. (1) * * * * *

(4) प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को जिला विकास परिषद में आरक्षित किया जाएगा-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए,

और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या, जो इस प्रकार आरक्षित होगी, जिला विकास परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का उतना ही अनुपात वहन करेगी जितना कि जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या या जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या के बराबर होता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(6) प्रत्येक जिला विकास परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का एक-तिहाई (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी ।

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का अधनियिम सं. 20) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो,-

(1) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जिनकी सरकार के अधीन सेवाओं में

नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के प्रयोजनों हेतु पहचान की जा सकती है और अधिसूचित किया जा सकता है;

* * * * * *

(27) "अधिभोगी" के अंतर्गत कोई व्यक्ति और स्वामी, जो उस भी रहता है या अन्यथा उपयोग करता है, उसकी अपनी जमीन या इमारत और एक किराया-मुक्त किरायेदार भी सम्मिलित है, जो तत्समय मालिक को भूमि या भवन के किराए का किराया या कोई हिस्सा जिसके संबंध में शब्द का उपयोग किया जाता है या ऐसी भूमि या भवन के कब्जे के कारण नुकसान होता है भुगतान करने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ;

* * * * * *

(29ख) "विशेष अधिकरण" से विशेष अधिकरण अभिप्रेत है, जिसका जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अधीन गठन किया गया है ;

* * * * * *

कतिपय प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण ।

11क. (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित किए जा सकेंगे

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(3) नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसे स्थान नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(3क) कोई व्यक्ति जो मिथ्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के आधार पर नगरपालिका का सदस्य या पदधारी बनता है, वह उस तारीख से निरर्हित किया जाएगा जिस तारीख को यह पाया जाता है कि वह ऐसे झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर ऐसा सदस्य या पदधारी बना था और वह छह वर्ष की और अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

(4) संबंधित उपायुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे सरकार इस संबंध में नियुक्त करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

* * * * * *

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

282. (1) * * * * *

(2) आयोग अपने नियम स्वयं विरचित करेगा और अपनी प्रक्रिया स्वयं अधिकथित

करेगा ।

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) 'पिछड़ा वर्ग' से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत है, जिनकी सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के प्रयोजन हेतु पहचान की जाए और अधिसूचित किया जाए ;

* * * * * *

(6) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिप्रेत है;

* * * * * *

(37) "घृणास्पद पदार्थ" में जानवरों के शव, रसोई या पशुशाला का कचरा, गोबर, गंदगी और सड़े हुए या सड़े हुए पदार्थ शामिल हैं, जो सीवेज के अलावा हैं ;

* * * * * *

(59) "विशेष अधिकरण" से विशेष अधिकरण अभिप्रेत है, जिसका जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अधीन गठन किया गया है ;

* * * * * *

कतिपय प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण ।

10क. (1) नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान किसी निगम में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जैसा भी मामला हो सकता है।

(3) निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई (इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान निगम में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(3क) कोई व्यक्ति जो मिथ्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के आधार पर नगरपालिका का सदस्य या पदधारी बनता है, वह उस तारीख से निरर्हित किया जाएगा जिस तारीख को यह पाया जाता है कि वह ऐसे झूठे जाति

प्रमाणपत्र के आधार पर ऐसा सदस्य या पदधारी बना था और वह छह वर्ष की और अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

(4) संबंधित उपायुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे सरकार इस संबंध में नियुक्त करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी हो

* * * * * *